न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/212 दर्ज तिथिः– 31.08.2018

1. ललित पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल जाति बागडा ब्राहमण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर

......................वादीगण

बनाम

1. कमला पत्नी कैलाश उम्र 50 साल जाति ब्राहमण
2. अनिल पुत्र रामजीलाल उम्र 50 साल जाति ब्राहमण
3. इन्द्रा पत्नी दिनेश उम्र 54 साल जाति ब्राहमण
4. मिनाक्षी पुत्री दिनेश उम्र 30 साल जाति ब्राहमण
5. रोहित पुत्र दिनेश उम्र 24 साल जाति ब्राहमण
6. जुगल पुत्र दिनेश उम्र 17 साल नाबालिग
7. रबिना पुत्री दिनेश उम्र 15 साल नाबालिग दोनो बसरपरस्ती इन्द्रा माताखुद जाति बागडा ब्राहमण सभी निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।

प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री मनीष कुमार जैन।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय तिथिः– 09.02.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 354 हाल खसरा संख्या 918/1.75 है0, वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
1	अनिल पुत्र रामजीलाल	1/3	918/2	1.16 है0	चाही तृतीय
2	ललित पुत्र रामजीलाल	1/3			चाही तृतीय
3	कमला देवी पत्नी कैलाश	1/6	918/1	0.29 है0	चाही तृतीय
4	इन्द्रा पत्नी दिनेश	1/30	918/3	0.30 है0	चाही तृतीय
5	मिनाक्षी पुत्री दिनेश	1/30			
6	रविना पुत्री दिनेश	1/30			
7	रोहित पुत्र दिनेश	1/30			
8	जुगल पुत्र दिनेश	1/30			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने –अपने हिस्से आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाए जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:34 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः– 31.08.2018

वाद संख्याः– 01/212

1. ललित पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल जाति बागडा ब्राहमण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर

......................वादीगण

बनाम

1. कमला पत्नी कैलाश उम्र 50 साल जाति ब्राहमण
2. अनिल पुत्र रामजीलाल उम्र 50 साल जाति ब्राहमण
3. इन्द्रा पत्नी दिनेश उम्र 54 साल जाति ब्राहमण
4. मिनाक्षी पुत्री दिनेश उम्र 30 साल जाति ब्राहमण
5. रोहित पुत्र दिनेश उम्र 24 साल जाति ब्राहमण
6. जुगल पुत्र दिनेश उम्र 17 साल नाबालिग
7. रबिना पुत्री दिनेश उम्र 15 साल नाबालिग दोनो बसरपरस्ती इन्द्रा माताखुद जाति बागडा ब्राहमण सभी निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।

प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री मनीष कुमार जैन।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2023.05.11 21:06:34 IST

Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 09.02.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकसीम अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खाता संख्या 354 आराजी हाल खसरा नंबर 918 रकबा 1.75 है0 किस्म चाही तृतीय वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा (प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा) मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन में कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण मे वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयें:–

   1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

      .....उभय पक्षकारान

   2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

      .....उभय पक्षकारान

   3. अन्य दादरसी।

      .....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2022/5179 दिनांक 16.06.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की। अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–2073 का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण खाता संख्या 354 में वर्णित खसरा नंबर 918 रकबा 1.75 है0 किस्म चाही तृतीय वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा व असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 3 का लगायत 7 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदारी आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन एकल खाते के पक्ष में स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:34 IST
Reason: SelfAttested

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 354 हाल खसरा संख्या 918/1.75 है0, वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
1	अनिल पुत्र रामजीलाल	1/3	918/2	1.16 है0	चाही तृतीय
2	ललित पुत्र रामजीलाल	1/3			चाही तृतीय
3	कमला देवी पत्नी कैलाश	1/6	918/1	0.29 है0	चाही तृतीय
4	इन्द्रा पत्नी दिनेश	1/30			
5	मिनाक्षी पुत्री दिनेश	1/30			
6	रविना पुत्री दिनेश	1/30	918/3	0.30	चाही तृतीय
7	रोहित पुत्र दिनेश	1/30			
8	जुगल पुत्र दिनेश	1/30			

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार पक्षकारान अपने –अपने हिस्से आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner